अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग एवं अध्यक्ष, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट), उ0प्र0 की अध्यक्षता में दिनांक 03.07.2020 को अपराह्न 04:00 बजे सम्पन्न कार्यकारिणी समिति की षष्ठम् बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 03.07.2020 को अपराह्न 04:00 बजे पूर्व निर्धारित एवं संसूचित एजेण्डे के अनुसार पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) की कार्यकारिणी समिति की षष्ठम् बैठक अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0 शासन एवं अध्यक्ष, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) की अध्यक्षता में पंचायती राज निदेशालय, लोहिया भवन, अलीगंज, लखनऊ के सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत् है:–

क्र.सं.	नाम	पद व पता	'प्रिट' के पदाधिकारी
1.	श्री मनोज कुमार सिंह	अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज एवं अध्यक्ष, 'प्रिट'।	अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति
2.	श्रीमती किंजल सिंह	निदेशक/उपाध्यक्ष, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट)।	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती किंजल सिंह	निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0।	सदस्य
4.	श्री एल. वेंकटेश्वर लु	महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।	सदस्य
5.	श्री राकेश कुमार	विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
6.	श्री राज कुमार	अपर निदेशक(प्रशा0), पंचायती राज, उ0प्र0।	सदस्य
7.	श्री ब्रजेश कुमार	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायती राज निदेशालय।	सदस्य
8.	श्री कीर्ति शंकर अवस्थी	संयुक्त निदेशक/सचिव, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट), लखनऊ।	सदस्य सचिव
9.	श्री सुधांशु त्रिपाठी	निदेशक, पंचायती राज लेखा, उ0प्र0।	सदस्य
10.	सुश्री अजंता देवी	संयुक्त निदेशक, नियोजन विभाग, उ0प्र0।	सदस्य
11.	श्रीमती प्रवीणा चौधरी	उपनिदेशक (पं0), पंचायती राज निदेशालय।	सदस्य
12.	श्री क़े0के0 शर्मा	मुख्य अभियंता, यू.पी.सिडको	निर्माणाधीन क्षेत्रीय पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान कन्नौज व बलिया की कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि
13.	श्री पंकज कुमार लाल	अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।	

मा0 अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, प्रिट की अनुमति से संयुक्त निदेशक/सदस्य सचिव, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, 'प्रिट' द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी एवं क्रमशः एजेण्डावार चर्चा की गयी। माननीय कार्यकारिणी समिति की सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त निम्नवत् हैः–

प्रिट द्वारा जो प्रशिक्षण राज्य स्तरीय संस्था से दिया जा रहा है वह जिस स्तर की अवस्थापना सुविधाएं ट्रेनिंग के लिए विकसित की गयी है उसके सापेक्ष बहुत कम है। प्रिट के हॉस्टल, मेस आदि का रखरखाव भी उच्च स्तर के होने चाहिए। उपरोक्त के अतिरिक्त कोविड–19 के दृष्टिगत वर्चुअल प्रशिक्षण की भी व्यवस्था बनायी जानी चाहिए। उपरोक्त बिन्दुओं पर नाबार्ड एवं बर्ड का मौका मुआयना कर व उनके सम्बन्धित अधिकारियों से वार्ता कर प्रिट के संचालन की भी व्यवस्था भी उसी पैटर्न पर बनायी जाए।

2. ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जनपद स्तरीय अधिकारियों, कर्मचारियों व जन–प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए पंचायती राज विभाग के संस्थाएं डी.पी.आर.सी. एवं ग्राम विकास की संस्थाएं एस.आई.आर.डी., आर.आई.आर.डी. व डी.आई.आर.डी. का समुचित प्रयोग किया जाना चाहिए। इसलिए प्रशिक्षण की धनराशि डी.पी.आर.सी. हेतु मण्डलायुक्त को आर.आई.आर.डी./एस.आई.आर.डी., डी.आई.आर.डी. को उपलब्ध कराते हुए प्रशिक्षण की कार्यवाही आगे बढ़ायी जाए। वर्चुअल ट्रेनिंग की व्यवस्था बनाने एवं ट्रेनिंग इम्पार्ट करने के लिए निदेशालय स्तर पर एक छोटी–सी टीम बनाकर 15 दिन के अन्दर इस पर रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की जाए।

एजेण्डा बिन्दु	प्रस्ताव	निर्णय
1	प्रिट की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 04–07–2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा गत बैठक दिनांक 04.07.2018 का कार्यवृत्त यथावत् अनुमोदित किया गया।
2.	प्रिट की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 04–07–2018 में लिये गये निर्णयों के अनुपालन की स्थिति।	मा0 कार्यकारिणी समिति गत बैठक दिनांक 04.07.2018 में लिये गये निर्णय के अनुपालन से अवगत हुई तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि नाबार्ड एवं बर्ड इंस्टीट्यूट से सम्पर्क कर व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की जाए तथा तदनुसार प्रिट में आवश्यक सुधार हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। 2– वर्ष 2016–17 में प्रस्तावित तीन समितियों के सभापतियों का विकास खण्ड स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि जिन 15 जनपदों द्वारा अभी तक धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र प्रिट में नहीं भेजा है, उन्हें तत्काल उपभोग प्रमाण पत्र भेजने हेतु निर्देश दिया जाए।

3.	वित्तीय वर्ष 2018–19 व वर्ष 2019–20 में प्रिट में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनुमोदन।	मा0 समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 व वर्ष 2019–20 में प्रिट द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनुमोदन प्रदान किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिया गया है कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार व कोविड–19 के दृष्टिगत मोड ऑफ डिलीवरी बेहतर करने हेतु ई–ट्रेनिंग कंटेन्ट तथा वेबिनार को अपनाया जाए।
4.	प्रिट के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 व वर्ष 2019–20 में प्राप्त एवं व्यय धनराशियों का विवरण समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना।	मा0 समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 व वर्ष 2019–20 में प्राप्त एवं व्यय धनराशियों का अनुमोदन प्रदान किया गया।
5.	जनपद बलिया व कन्नौज में निर्माणाधीन क्षेत्रीय पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान की प्रगति से समिति को अवगत कराया जाना।	मा0 समिति निर्माणाधीन क्षेत्रीय पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान कन्नौज व बलिया की प्रगति से अवगत हुई तथा जनपद कन्नौज हेतु नामित कार्यदायी संस्था यू.पी. सिडको के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ठेकेदार की लापरवाही के कारण अभी तक उक्त परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया जा सका। आगामी 08 माह के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण कराने का वचन दिया गया तथा यह भी अवगत कराया गया कि उक्त परियोजना मद में अभी लगभग 80.00 लाख की धनराशि अवशेष है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि पूर्व में दी गई धनराशि के 60 प्रतिशत का उपभोग प्रमाण पत्र प्रदान करने के उपरान्त इन्हें तृतीय किश्त की धनराशि अवमुक्त कर दी जाए। इसी क्रम में जनपद बलिया हेतु नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि 93 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं चतुर्थ किश्त की धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त सम्पूर्ण निर्माण कार्य 06 माह में पूर्ण करा दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय द्वारा जनपद बलिया को चतुर्थ किश्त प्रोजेक्ट की निरीक्षण आख्या प्राप्त कर संतोषजनक होने की स्थिति में अवमुक्त करने का निर्देश दिया गया।

6.	कार्यकारिणी समिति की पंचम बैठक दिनांक 04.07.2018 के एजेण्डा बिन्दु संख्या–06 पर अनुमोदित आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाने वाले अतिरिक्त 17 पदों के सम्बन्ध में एवं 06 गार्ड व 01 ट्रेनिंग मैनेजर के पदों पर हुई कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति।	मा0 समिति ने गत बैठक दिनांक 04–07–2018 द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाने वाले विभिन्न संवर्ग के अनुमोदित 17 पदों के सापेक्ष 01 ट्रेनिंग मैनेजर व 06 गार्डों के पदों की गई तैनाती सम्बन्धी कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई तथा आगामी प्रशिक्षणों के सुचारु रूप से आयोजन हेतु तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत स्टोर कीपर, कम्प्यूटर ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर के एक–एक पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनाती करने की अनुमति प्रदान की गई।
7.	प्रिट के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कार्ययोजना का प्रस्ताव।	मा0 समिति वर्ष 2020–21 में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों से अवगत हुई। मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि फिजिकल एवं वर्चुअल ट्रेनिंग को पृथक–पृथक वर्गीकृत किया जाए, सॉलिड लिक्विड बेस्ड मैनेजमेंट का मॉड्यूल तैयार कराया जाए, सभी जिलों की निगरानी समितियों व स्वच्छाग्रहियों आदि को आवश्यक प्रशिक्षण यथा–सॉलिड लिक्विड बेस्ड मैनेजमेंट पर उन्मुखीकरण, जी.पी.डी. पी. व पी.एफ.एम.एस., ई–टेण्डर आदि पर दिया जाए एवं विस्तृत व गुणवत्तापरक ट्रेनिंग प्लान तैयार किया जाए। उक्त के अतिरिक्त डी.आई.आर.डी., एस.आई.आर.डी., आई.आई.एम. एवं अन्य प्रशिक्षण संस्थानों से विषय विशषज्ञों से संबंधित रिसोर्स पर्सन्स को इम्पैनल्ड किया जाए।
8.	पंचायती राज विभाग की योजनाओं, उपलब्धियों के प्रकाशन हेतु ''स्मारिका'' नामक पत्रिका का मुद्रण कराए जाने का प्रस्ताव	औचित्य नहीं पाया गया।
9.	पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) के संचालन हेतु शासनादेश संख्या–98/2016/2698/33–3–2016–158/2015, दिनांक 05 दिसम्बर, 2016 द्वारा सृजित पदों का स्थायीकरण करने सम्बन्धी प्रस्ताव	मा0 समिति द्वारा प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रिट के संचालन हेतु शासनादेश संख्या–98/2016/2698/33–3–2016–158/2015, दिनांक 05 दिसम्बर, 2016 द्वारा सृजित पदों का स्थायीकरण करने सम्बन्धी सुसंगत प्रस्ताव शासन को भेजा जाए।

10.	पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को अवकाश की सुविधा प्रदान करने सम्बन्धी प्रस्ताव।	औचित्य नहीं पाया गया।
11.	प्रिट भवन की मरम्मत/नवनिर्माण/पुनर्निर्माण आवर्ती/अनावर्ती व्यय रु0 2.47 करोड़ की स्वीकृति के प्रस्ताव का अनुमोदन।	मा0 समिति द्वारा प्रिट भवन की मरम्मत/नवनिर्माण/पुनर्निर्माण हेतु आवर्ती/अनावर्ती व्यय रु0 2.47 करोड़ की स्वीकृति के प्रस्ताव पर अनुमोदन करते हुए संस्था को निर्गत 50 प्रतिशत अग्रिम धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई।
12.	अन्य बिन्दु मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से	प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता एवं प्रिट की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिए गयेः– 1. प्रिट कार्यकारिणी समिति की आगामी बैठक में आई.आई.एम. लखनऊ, गिरी इंस्टीट्यूट लखनऊ, जियो स्पेशियल, डायरेक्टर, नीरी व अन्य प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों से विशेष आमंत्री के रूप में विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाए। 2. जनपद स्तर पर डी.आई.आर.डी., आर. आई.आर.डी. व डी.पी.आर.सी. संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन हेतु प्राथमिकता दी जाए। 3. शासनादेश संख्या–98/2016/2698/33–3–2016–158/2015, दिनांक 05 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रिट के संचालन हेतु अन्य पदों के साथ सृजित पंचायती राज विशेषज्ञ तथा ग्राम विकास विशेषज्ञ के एक–एक पदोंकी शैक्षिक योग्यता, अर्हता तथा अनुभव एवं उन्हें देय मानदेय को उच्चीकृत करने हेतु सुसंगत प्रस्ताव शासन को भेजा जाए।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक सम्पन्न हुई।

16.7.20

(के0एस0 अवस्थी)
सचिव,
पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट)।

16.7.20

(मनोज कुमार सिंह)
अध्यक्ष,
पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट)।